# कार्यालय, नगर पालिका परिषद मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी।

संख्या 2004 /न0पा0परि0मं0/निविदा सूचना/2023 दिनांक 02 दिसम्बर, 2023

## निविदा सूचना

स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के अन्तर्गत आने वाले सभी शासकीय विभागों में पंजीकृत ठेकेदार/फर्मो को सूचित किया जाता है कि "मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना" CM-NSY में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष निम्न निर्माण हेतु निविदा दिनांक 15.12.2023 अपरान्ह 02:00 बजे तक न.पा.परि. मंझनपर कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त निविदा सील बन्द लिफाफे में कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में डाली जायेगी। प्राप्त निविदा लिफाफा को दिनांक 15.12.2023 अपरान्ह 03.00 बजे कार्यालय में उपस्थित निविदादातोओं/निविदा कमेटी के समक्ष खोला जायेगा, निविदा में सम्मिलित कार्यो का विस्तृत विवरण निम्नवत् है –

| क्र.सं. | निर्माण कार्य का नाम | अनुमानित लागत (जी.एस.टी. रहित) (रू0 में) | बिड सिक्योरिटी (ई.एम.डी. 10%) (रू0 में) | निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में) | कार्य पूर्ण करने की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | वार्ड नम्बर 04, अब्दुल कलाम आजाद नगर मजरा मंसूर नगर में बेलाल उद्दीन के घर से गुलाम के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 358637.00 | 35864.00 | 423.00 | 01 माह |
| 2 | वार्ड नम्बर 05, सरदार पटेल नगर मजरा चक नगर प्रथम में उमेश अग्रहरि से कमलाकान्त के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 361203.00 | 36120.00 | 426.00 | 01 माह |
| 3 | वार्ड नम्बर 06, डॉ0 हेडगेवार नगर मजरा तन्ना पर मूलचन्द्र के घर से शिवचरण के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 780628.00 | 78063.00 | 921.00 | 01 माह |
| 4 | वार्ड नम्बर 08, महात्मा गांधी नगर मजरा चक नगर द्वितीय में रूकसार बानों के घर से तुफैल के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 366764.00 | 36676.00 | 433.00 | 01 माह |
| 5 | वार्ड नम्बर 09, ऊधोश्याम नगर मजरा नया नगर द्वितीय में प्रेम चौधरी के घर से कमरूद्दीन के घर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 758249.00 | 75825.00 | 895.00 | 01 माह |
| 6 | वार्ड नम्बर 11, भगत सिंह नगर मजरा बबुरा में इसरार के घर से प्रदीप निर्मल के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 676610.00 | 67661.00 | 798.00 | 01 माह |
| 7 | वार्ड नम्बर 11, भगत सिंह नगर मजरा बबुरा में लखन के घर मनमोहन के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 591306.00 | 59131.00 | 698.00 | 01 माह |
| 8 | वार्ड नम्बर 12, शहीद सोहन लाल मजरा फरीदपुर में प्राथमिक विद्यालय से विपिन के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 386721.00 | 38672.00 | 456.00 | 01 माह |
| 9 | वार्ड नम्बर 13, अटल बिहारी वाजपेयी नगर मजरा रामपुर बसोहरा में समीम उल्ला के घर से चन्द्रपाल के घर तक के घर तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 511506.00 | 51151.00 | 604.00 | 01 माह |
| 10 | वार्ड नम्बर 15, सुभाष चन्द्र बोस नगर मजरा मंगरोहनी में रामराज के घर से सममगन लोधी के घर तक आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 265079.00 | 26508.00 | 313.00 | 01 माह |
| 11 | वार्ड नम्बर 17, गौतम बुद्ध नगर मजरा खोरा में रामनरेश लोधी के घर से सामुदायिक भवन तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य। | 331299.00 | 33130.00 | 391.00 | 01 माह |
| 12 | वार्ड नम्बर 17, गौतम बुद्ध नगर मजरा ननहुआ का पूरा में राजेश लोधी के घर से रोशन लोधी के घर तक सी0सी0 मार्ग व दोनों तरफ आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य। | 361921.00 | 36192.00 | 427.00 | 01 माह |

**नियम/शर्तेः–**

1. निविदा प्रपत्र के साथ नगर पालिका परिषद मंझनपुर में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र के मूल प्रति के साथ ही ठेकेदार/फर्म के द्वारा अपना अद्यतन वैध चरित्र प्रमाण पत्र (T-4), हैसियत प्रमाण पत्र (T-5), निर्धारित मूल्य (रू0 100) के एकल न्यायिक स्टॉम्प पेपर पर कार्य के नाम के स्पष्ट उल्लेख के साथ घोषणा पत्र (T-6), GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, श्रम विभाग में पंजीकृत होने के प्रमाण पत्र, निर्धारित मूल्य (रू0 10) के एकल गैर–न्यायिक स्टॉम्प पर निविदादाता का न तो कोई अपराधिक रिकार्ड है और न ही किसी गैर सरकारी संस्था में पंजिकृत है, विषयक शपथ पत्र की मूल प्रति स्पष्ट रूप से पठनीय हो, सील बन्द लिफाफे में कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवाय।
2. निविदा शुल्क की धनराशि पंजाब नेशनल बैंक शाखा मंझनपुर IFSC कोड PUNB0486900 खाता संख्या 4869000100057833 जो NPP Manjhanpur Tender Fees/Security के नाम से खुले बैंक खाते में जमा पर्ची या कार्यालय नगर पालिका परिषद मंझनपुर में नकद जमा कर जमा पर्ची निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिर्वाय होगा, तभी निविदामान्य होगी।
3. उपरोक्त ई–निविदा में आवश्यक डाक्यूमेन्ट के साथ सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म का नगर पालिका परिषद मंझनपुर जनपद कौशाम्बी में किसी भी प्रकार का शासकीय बकाया नही है, इस आशय का अदेयता प्रमाण पत्र स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा तभी तकनीकी बिड स्वीकृत किया जायेगा।
4. निविदा प्रपत्र के साथ 10% जमानत धनराशि का FDR जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी के पदनाम से बन्धक हो, को मूल रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, अंयथा सम्बन्धित कार्य की तकनीकी निविदा पर विचार नही किया जायेगा। यह भी किसी भी कार्य की निविदा के साथ संलग्न जमानत धनराशि की FDR की प्रति मात्र एक कार्य की निविदा में ही मान्य होगी अर्थात जमानत धनराशि के FDR में उल्लिखित धनराशि अधिक होने पर भी उपरोक्त जमानत धनराशि का FDR किसी अन्य कार्य की निविदा में मान्य नही होगी। अन्यथा की स्थिति में निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय निदेशालय के शासनादेश संख्या 496/कम्प्यू0सेल/2017–18 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2019 के अनुरूप निविदादाता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी एवं पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जायेगी।
5. निविदा में सम्मिलित प्रत्येक कार्य का जमानत धनराशि की FDR पृथक–पृथक जमा करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि तथा सशर्त निविदामान्य नहीं होगी एवं अपूर्ण पाये जाने पर आशिंक रूप से या सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने अथवा संशोधन करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा।
7. उपरोक्त निविदा में सम्मिलित निर्माण कार्यो में निदेशक महोदया, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ के द्वारा निर्गत निर्देश पत्र संख्या टी.सी./314/8/डी.एल.बी./2020 दिनांक 01.01.2021 में निर्माण कार्यो हेतु उल्लिखित दिशा निर्देशो तथा अपर मुख्य सचिव महोदय, नगर विकास विभाग अनुभाग–9 उ0प्र0 शासन के द्वारा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में निर्माण/विकाय कार्यो हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) विषयक निर्गत शासनादेश संख्या 1319/नौ–9–21–45ज/21 नगर विकास विभाग, अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2021 में वर्णित समस्त निर्देशो के साथ ही भिन्न–भिन्न समय में उच्चाधिकारियो के द्वारा निर्गत किये गये तथा भविष्य में निर्गत होने वाले समस्त दिशा निर्देशो का अनुपलन करना होगा।
8. निविदा में सम्मिलित निर्माण कार्यो हेतु जमा की गयी जमानत धनराशि को अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्गत एस.ओ.पी. दिनांक 30 जून, 2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार एक वर्ष तक कार्य संतोषजनक विषयक अभियंत्रण विभाग की आख्या के अनुसार अवमुक्त किया जायेगा।
9. शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 आडिट/08 टी0सी0–2 लोक निर्माण अनुभाग–12, लखनऊ दिनांक 08.06.2012 के अनुसार अनुबंध गठन के समय 10 प्रतिशत विलो (Below) दर तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक विलो (Below) दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम पर सिक्योरिटी/परफार्मेस गारण्टी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
10. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर स्टाम्प पेपर पर स्वयं के व्यय पर ठेकेदार को अनुबन्ध कराना होगा।
11. प्रत्येक स्वीकृत निर्माण कार्य के अनुबन्ध से पूर्व ठेकेदार को श्रम विभाग में अधिष्ठान पंजीयन एंव निर्माण श्रमिक पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
12. स्वीकृत कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान एंव कार्य पूर्ण होने के बाद की कलर फोटो कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
13. निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच/सत्यापन हो जाने के उपरान्त ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। यदि कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पायी जायेगी तो सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा जमा जमानत धनराशि जब्त करते हुए अन्य कोई विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

02/12/23

14. "मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना" CM-NSY के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–91/2023/294मु0मं0न0सृ0यो0/नौ–2–2023/001–1757904 नगर विकास अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 02 नवम्बर, 2023 के द्वारा नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी में निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित धनराशि रूपया 352.591 लाख के सापेक्ष शासन के द्वारा प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति रूपया 352.591 लाख रूपये के सापेक्ष धनराशि रूपया 352.591 लाख मात्र अवमुक्त है किया गया है। उपरोक्त कार्ययोजना में शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि से अतिरिक्त धनराशि का भुगतान राज्य वित्त आयोग मद में प्राप्त होने वाली धनराशि से किया जायेगा।

15. "मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना" CM-NSY के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–91/2023/294मु0मं0न0सृ0यो0/नौ–2–2023/001–1757904 नगर विकास अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 02 नवम्बर, 2023 के द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य को कराये जाने हेतु शासन के द्वारा प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के साथ वर्णित निमय एवं शर्त का पालन कराना अनिवार्य होगा।

16. निविदा आमंत्रणकर्ता को आईटीबी के क्लॉज–9 के अनुसार परिशिष्ट/शुद्धि पत्र जारी करने का अधिकार है जो किसी भी समाचार पत्र मे प्रकाशित नही किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए नगर पालिका परिषद, मंझनपुर के कार्यालय से सम्पर्क कर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

17. उपरोक्त निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा तथा समस्त विवाद का न्यायिक क्षेत्र जनपद कौशाम्बी होगा।

02/12/23
(ओमकार पटेल)
अवर अभियन्ता (सिविल)
न0पा0परि0 मंझनपुर कौशाम्बी

(अनूप राय)
अधिशासी अधिकारी
न0पा0परि0 मंझनपुर कौशाम्बी

(वीरेन्द्र कुमार)
अध्यक्ष
न0पा0परि0 मंझनपुर कौशाम्बी

**प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. जिलाधिकारी महोदय, कौशाम्बी को अवलोकनार्थ।
2. विज्ञापन प्रबन्धक, दैनिक समाचार पत्र आज एवं स्पष्ट आवाज को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में लघु अक्षरो में प्रकाशित करके उसकी दो प्रतिया इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जिससे प्रकरण में आग्रिम कार्यवाही की जा सकें।
3. नगर पालिका परिषद मंझनपुर की बेव साइड www.nppmanjhanpur.in पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. कार्यालय नगर पालिका परिषद मंझनपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

(अनूप राय)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
मंझनपुर–कौशाम्बी